संख्या- 2/2021/87/74-2-2021-08(बजट)/2019

प्रेषक,

अवध नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांकः 25 फरवरी, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 के "अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 147.81 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 47.81 लाख एवं पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 12.01 लाख सहित कुल रू0 59.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-543-44/सेरी0/तक0/सी0एस0एस0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 10 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 147.81 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 47.81 लाख एवं शासनादेश संख्या-17/2020/587/74-2-2020-08(बजट)/2019 दिनांक 17-12-2020 के माध्यम से 42-अन्य व्यय मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 12.01 लाख, कुल धनराशि रू0 59.82 लाख (उनसठ लाख बयासी हजार रूपये मात्र) की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति माननीया राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शिल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष धनराशि शासन को विलम्बतम 25 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(8) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(9) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 तथा दिनांक 07-04-2020, 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में दी शर्तों/नियमों एवं दिशानिर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) सामग्री क्रय में एम0एस0एम0ई, वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जाये।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यक्तानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृति/द्विरावृत्ति न हो।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी एवं पूर्ण दायित्व निदेशक, रेशम का होगा।

(15) लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(16) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(18) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)-42-अन्य व्यय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों एवं अशा0 संख्या-ई-185/दस-2021 दिनांक 18-02-2021 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

अवध नारायण
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 2/2021/87(1)/74-2-2021-तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

अवध नारायण
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।